झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
रिट याचिका (सिविल) संख्या 3602/2017

1. शिव शंकर झा,पिता स्वर्गीय सिंगेश्वर झा, निवासी महागामा डाकघर एवं थाना महागामा, जिला गोड्डा
2. सतीश कुमार झा,पिता शिव शंकर झा, निवासी ग्राम महगामा, डाकघर एवं थाना महगामा, जिला गोड्डा

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, गोड्डा, डाकघर, थाना एवं जिला गोड्डा
3. उप प्रभाग अधिकारी, गोड्डा, डाकघर, थाना एवं जिला गोड्डा,
4. सर्किल अधिकारी, महगामा, डाकघर एवं थाना महगामा, जिला गोड्डा

... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिएः श्री दुर्गा सी मिश्रा

उत्तरदाता के लिए: श्री प्रवीण अखौरी (एससी माइंस I)
श्री शरभिल अहमद, एसी,एस सी माइंस I

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : पक्षों को सुना

2. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तीन प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है।

3 याचिकाकर्ताओं की पहली प्रार्थना यह है कि उत्तरदाता को मौजा लतैया संख्या 690, खाता संख्या 10, सर्किल महागामा, जिला गोड्डा के क्षेत्र 1.97 एकड़ के प्लॉट नंबर 104/10 और 104/11 पर निर्माण कार्य करने से रोका जाए। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्लॉट नंबर 104/11 को गलत तरीके से 1044/11 के रूप में मुद्रित किया गया है और मौजा लतरिया को इस तात्कालिक रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 1 और 16 पर गलत तरीके से लतैया के रूप में मुद्रित किया गया है।

4. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की पहली प्रार्थना का संबंध है, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि निर्माण पहले से ही पूरा हो चुका है और प्रतिवादी, वर्तमान में, आगे कोई निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। अतः याचिकाकर्ताओं की पहली प्रार्थना निष्फल हो गई है।

5. प्रतिवादी राज्य के उपरोक्त तर्क को याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

6. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई इस प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं की पहली प्रार्थना को निष्फल होने का निपटारा किया जाता है।

7. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की दूसरी प्रार्थना का संबंध है, यह प्रतिवादी संख्या 2, उप आयुक्त, गोड्डा को 22.05.2017 की अभ्यावेदन का निपटारा करने का आदेश देने के लिए है।

8. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने पर, उपायुक्त, गोड्डा द्वारा इसका निपटारा नहीं किया गया था, लेकिन उपायुक्त, गोड्डा तीन महीने के भीतर इसका निपटारा कर सकते हैं यदि इसका अभी तक निपटारा नहीं किया गया है।

9. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2, उप आयुक्त, गोड्डा को निर्देशित किया जाता है कि वह 22.05.2017 की प्रस्तुति का निपटारा इस आदेश की प्राप्ति/उत्पादन की तिथि से तीन महीने के भीतर करें।

10. याचिकाकर्ताओं की तीसरी प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 4, सर्किल अधिकारी, महागामा को 21.07.2016 की तिथि के नोटिस के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए, जो प्रतिवादी संख्या 4 के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया था।

11. प्रतिवादियों के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि सर्किल अधिकारी, महागामा ने उक्त नोटिस के संबंध में कार्यवाही का निपटारा नहीं किया है, तो इसे तीन महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा।

12. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 4, सर्किल अधिकारी, महागामा डाकघर एवं थाना महागामा, जिला गोड्डा को निर्देशित किया जाता है कि वह 21.07.2016 की तिथि के नोटिस के संबंध में कार्यवाही कर इस आदेश की प्राप्ति/उत्पादन की तिथि से तीन महीने के भीतर निपटारा करें, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के अनुबंध 4 में रखी गई है।

13. तदनुसार इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 11 जनवरी 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|